सेवा में,

Jheku lEHkkxh; vk;qDr egkn;
tks/kiqj lEHkkx& tks/kiqjA

द्वाराः— उचित माध्यम से।

vihykUV&&

अब्दुल हमीद पटवारी, पटवार मण्डल बिरोल/बाजांकुडी
तहसील, जैतारण, जिला पाली

cuke

jLiksMUV&&

जिला कलेक्टर,पाली

<u>विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.4.2017 जो श्रीमान जिला कलेक्टर पाली द्वारा सीसीए 17 के अन्तर्गत पारित कर अपीलान्ट को तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया</u>।

महोदय,

अपीलान्ट की ओर निम्न तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहा हैः——

1. यह कि अपीलान्ट के पटवारी, बिरोल/बांजाकुडी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान जिला कलेक्टर महोदय पाली के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के द्वारा निम्न आरोपो से आरोपित किया गया।
2. **vkjksi u- 1**— आप श्री अब्दुल हमीद पटवारी व बाजाकुडी के पद पर कार्यरत रहते हुए ज्यादातर जोधपुर या मुख्यालय से बाहर होना बताया गया। कई बार आप सरकारी व निजी मोबाईल फोन का भी स्विच ऑफ कर लेते है। आपसे दिनांक 14.1.17, 17,1,17, 19,1,17, 22,1,17, 23.1.17 व 24.1.17 को सम्पर्क किया गया तो आप हल्के से बार जोधपुर या ब्यावर होना बताया गया। बिना

अनुमति अपने मुख्यालय से बाहर रहने के लिए और सरकार व निजी मोबाईल बन्द रखने के लिये आप दोषी है।

3. **vkjksi u- 2&**रा.वा.सं. 16/03 रावत/पेमा मे पी.डी की पालना हेतु कार्यालय पत्रांक भू.अ./16/9106 दिनांक 22.11.16 को लिखा गया था जो 3 माह के करीब समय हो गया। आपके द्वारा जानबूझकर पी.डी की पालना पेश करने मे विलम्ब किया जा रहा है। समय पर पी.डी पालना प्रस्तुत नही करने से न्यायालय को समय पर सूचना नही भेजी जा सकी। जिसके लिए आप दोषी है।

4. **vkjksi u-3&** कार्यालय हाजा के पत्रांक /भू.अ./16/8603 दिनांक 19.10.16 द्वारा प्रार्थी फिरोजखां पुत्र अमरूखं का फौतेदारी (विरासत)का नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया जिसकी आदिनांक पालना नही की, विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नही किया। जिसके लिए आप दोषी है।

5. **vkjksi u-4&** कार्यालय हाजा के पत्रांक / भू.अ./17/54 दिनांक 6.1.17 द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने का प्रार्थी हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपूत बांजाकुडी का आवेदन अन्तरित किया गया था तथा 3 रोज मे प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। मगर इस संबंध मे आपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरते हुए आर.टी.आई की महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई एवं न ही पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके लिए आप दोषी है।

6. **vkjksi u-5&** तेजाराम पुत्र शैतानाम कुमावत नि.बिरोल का नामान्तरकरण हेतु आप द्वारा 10,000/—रूपये की मांग की 5000/— रूपये पहले ले लिये तथा शेष 5000/— रूपये नही देने तक उसका नामान्तरकरण दर्ज नही किया जिसकी तेजाराम द्वारा लिखि तमे शिकायत की गई। जिसके लिए आप दोषी है।

7. **vkjksi u-6&** प्रार्थी तेजाराम पुत्र शैतानराम कुमावत निवासी बिरोल द्वारा शिकायत की गई पटवारी श्री अब्दुल हमीद द्वारा ग्राम बिरोल के ख.न. 222/23 की तरमीम भारी राशि लेकर लोगों मे लडाई झगडा करवाने की नियत से नियम विरूद्ध बिना आदेश तरमीम कर दी जिसकी जांच भू.अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा करवाई गई। जिसमे आप द्वारा अपने निजी स्तर पर बिना आदेश, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति गलत तरीके से तरमीम की गई जिसके लिये आप दोषी है।

8. **vkjksi u-7&** प्रार्थी राजेन्द्र गूर्जर एडवोकेट पुत्र श्री गेपरराम गुर्जर निवासी बिरोल ने भी शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री अब्दुल हमीद पटवारी

द्वारा करीब ढाई माह से दिनांक 18.11.16 से तहसील से आदेश करवाने के बावजूद भी नामान्तरकरण नही भरा जिसके लिए आप दोषी है।

9. **vkjki u-8&** आपके पटार मण्डल बिरोल व बांजाकुडी के प्रतिलिपि शुक रजिस्टर का अवलोकन करने पर आप द्वारा सरकारी हिस्सा की राशि माह दिसम्बर 2016 तक जमा नही करवाई जबकि प्रति माह आवश्यक रूप से जमा हो जानी चाहिये। सरकारी राशि समय पर जमा नही करवाई जाकर उसका दुरूपयोग किया है, जो गबन की श्रेणी मे आता है, जिसके लिए आप दोषी है।

10. **vkjki u-9&** कृषि गणना का कार्य दिनांक 30.10.16 तक पूर्ण कर रेकर्ड जमा कराना था इसके लिये आपको बार बार पाबन्द एवं मिटिंगों मे निर्देशित भी किया गया, इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना करते हुए आदिनांक तक कृषि गणना का कार्य पूर्ण नही किया तथा किसी तरह का कृषि गण्ना संबंधी रेकर्ड भी जमा नही करवाया गया जिसके लिए आप दोष है।

11. **vkjki u-10&**कार्यालय पत्रांक/भू.अ./17/108 दिनांक 12.1.17 एवं पत्रांक 129 दिनांक 16.1.17 द्वारा आप श्री अब्दुल हमीद पटवारी बिरोल को कारण बताओ नोटिसेज जारी किये गये। जिन्हे आप द्वारा दिनांक 12.1.17 एवं 17.1.17 को प्राप्त किये गये। नोटिस प्राप्ति के 3 रोज मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशि किया गया था। समयावधि मे जवाब प्राप्त नही होने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इसके बावजूद आपने आदेशें की अवहेलना करते हुए आदिनांक कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया, जो आपकी मौन स्वीकृति को प्रकट करता है तथा आप पर लगाये गये आरोपों को आप स्वीकार करते है। जिसके लिए आप दोषी है।

12. अपीलान्ट ने उक्त आरोपों का जवाब प्रस्तुत कर आरोपों कों नियमों एवं ठोस आधारों का हवाला देते हुए अस्वीकार किया इसके बावजूद आरोपों को जिला कलेक्टर, पाली द्वारा प्रमाणित मानकर अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:——

13. आरोप संख्या 1— के संबंध मे निवेदन है कि मोबाईल बंद करने की बात निराधार है। जो भी सूचनाऐं चाहिए वह लिखित मे मांगी जानी चाहिए। आरोप मे अंकित दिनांको जोधपुर मे प्रवास होना बताया, जो निराधार है।

14. आरोप संख्या 2— के संबंध मे निवेदन है कि अपीलान्ट के पास पटवार मण्डल बांजाकुडी का अतिरिक्त प्रभार है। अदालत निर्णय अनुसार पी.डी की पालना स्वंय तहसीलदार भूमिधारी को करनी चाहिए। मूल वाद मे

तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया जाता है। पी.डी की पालना कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश कर दी गय थी।

15. आरोप संख्या–3 के संबंध मे निवेदन है कि अपीलान्ट के पास बांजाकुडी का अतिरिक्त प्रभार है। तहसीलदार जैतारण के आदेश दिनांक 19.10.2016 के अनुसार फिरोज खां का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करना था। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2184 दिनांक 9.12.2016 के जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दिया था। फौतदगी नामान्तरकरण भरने की जानकारी ग्रामवासी से प्राप्त की। अतः उक्त आरोप भी निराधार है।

16. आरोप संख्या–4 के संबंध मे निवेदन है कि तहसीदार, जैतारण ने दिनांक 6.1.2017 को हिम्मतसिंह का प्रार्थना पत्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया था। परन्तु हिम्मतसिंह द्वारा लिखि तमे मुझे सूचना दी गई कि चाही गई सूचना की मुझे अभी आवश्यकता नही है। इसलिए सूचना उपलब्ध नही करवाई गई थी। इस बाबत तहसीलदार, जैतारण को मेरे द्वारा लिखित मे सूचना दे दी गयी थी। अतः उक्त आरोप निराधार है।

17. आरोप संख्या–5 के संबंध मे निवेदन है कि तेजाराम पुत्र श्री शैतानराम निवासी बिरोल से 10,000/– रूपये रिश्वत की बात निराधार है। तथा अपीलान्ट द्वारा 5000/– प्राप्त करने की बात भी निराधार है जिसका कोई प्रमाण व सबूत पेश नही किया है। अतः उक्त आरोप निराधार है।

18. आरोप संख्याा–6 के सबंध मे निवेदन है कि खसरा संख 222/23 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी दोयम प्रार्थी तेजाराम पुत्र लाबुराम गुर्जर साकिन बिरोल को उक्त भूमि आवंटित है। जिसका राजस्व रेकर्ड मे खातेदार होने व मौके पर कब्जा काश्त होने के कारण रेकर्ड एवं मौका के अनुसार तरमीम की गई है, जो सही है। तरमीम के संबंध मे गांव मे एवं ग्राम पंचायत को भी कोई ऐतराज नही है। शिकायतकर्ता तेजाराम पुत्र श्री शैतानराम कुमावत निवासी बिरोल अनैतिक रूप से आवंटी तेजाराम पुत्र श्री लाबुराम की खातेदारी भूमि हडपना चाहता था। इसलिए बेबुनियाद एवं झूठी शिकायत की गयी है। अतः उक्त आरोप असत्य व निराधार है।

19. आरोप संख्या 7– के संबंध मे निवेदन है कि राजेन्द्र गुर्जर एडवोकेट का नामान्तरकरण समय पर भरा गया, नामान्तरकरण संख्या 1310 दिनांक 23.12.2016 को दर्ज कर दिया था, परन्तु स्वीकृति से शेष होने से प्रार्थी को नकल उपलब्ध नही करवाई गई थी। नामान्तरकरण दिनांक 20.1.2017 को स्वीकृत होने पर नकल उपलब्ध करा दी गयी थी। अतः नामान्तरकरण

भरने की कोई अवहेलना नही की गयी है। अतः आरोप असत्य व निराधार है।

20. आरोप संख्या 8– के संबंध मे निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रतिलिपि रजिस्टर खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा सरकारी राशि जमा करवा दी गयी थी। यदि सरकारी राशि जमा नही करायी गयी होती तो गबन का आरोप बनता है। अतः उक्त आरोप भी गलत व निराधार है।

21. आरोप संख्या 9– के संबंध मे निवेदन है कि अपीलान्ट के पास पटवार मण्डल बिरोल के साथ अतिरिक्त प्रभार बांजाकुडी का होने से कृषि गणना देरी से पेश की गई, जो स्वाभाविक देरी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर देरी नही की है।

22. आरोप संख्या 10 के संबंध मे निवेदन है कि तहसील कार्यालय से जो नोटिस जारी किया उसका जवाब, कार्य की अधिकता एवं कार्यो को समय सीमा मे निपटाने मे व्यस्त होने के कारण नही दे सकस

23. यह कि अपीलान्ट की अब तक की राज्य सेवा संतोषजनक एवं निष्कलंक रही है।

24. यह कि अपीलान्ट ने अपने सेवाकाल में सभी प्रकार के कार्य ईमानदारी एवं तत्परता से सही समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित किये है तथा अपीलान्ट को पूर्व में किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है।

25. यह है कि श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.2.2018 अपीलान्ट की राज्य सेवा मे अधिक भविष्यगामी परिणाम डालने वाला सिद्ध हो रहा है, जिस कारण अपीलान्ट की पदौन्नती की राह मे बाधा एवं आर्थिक हानि की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अपीलान्ट ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही बरती गयी थी।

26. अपीलान्ट एक युवा कार्मिक है तथा शुरूआती सर्विस के दौर मे है। अपील स्वीकार न होने एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त न होने की सुरत मे अपीलकर्ता की सेवा पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

(**vCnly gehn**)
पटवारी,पटवार
मण्डल बिरोल/बांजाकुडी

dk t

fyLV

ॅण्छवण	बेंम जलचम प्क	बेंम जलचम
1	1	ॅनपज
2	2	।चचसपबंजपवद
3	3	।चचमंस
4	4	म्गमबनजपवद
5	5	डपेबमससंदमवने
6	6	त्मअमदनम ।चचमंस
7	7	डनदपबपचंस ।चचमंस
8	8	डनदपबपचंस छपहतंदप
9	9	न्ब्ज ।चचमंस
10	10	च्ंदबींलंज म्दुनपतल
11	11	।तउे ।चचमंस
12	12	स्ण्ठण्ज्ण छपहतंदप
13	13	क्मचंतजउमदजंस ।चचमंस
14	14	।तइपजतंजपवद ब्ेम
15	15	ब्संपउ व िज्पजंजमे
16	16	थ्वतमेज ।बज ।चचमंस
17	17	च्मजतवसमनउ ।चचमंस
18	18	न्ण्ष्ज्ण छपहंतंदप
19	19	त्मअपेपवद त्ठ – च ।बज
20	20	।चचमंस ठवअपदम ।दपउंस